अम्बाला पुलिस / प्रैस नोट
दिनांक 18–07–2024

@Ambalapolice @Ambalapolice

जिला अम्बाला में विशेष पुलिस अधिकारी (एस0पी0ओ0) के 19 रिक्त पदों पर भर्ती, 22 जुलाई 2024 को पुलिस लाईन अम्बाला में प्रातः 8–00 बजे भर्ती प्रक्रिया हेतू निर्धारित नियम व शर्तो को पूर्ण करने वाले आवदेक सम्बन्धित मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होगें

एक वर्ष की नियम अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में हरियाणा राज्य में सहायक बल स्थापित करने के लिए एक तय मानदेय जैसा कि नीचे दर्शाया गया है हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों को अम्बाला में निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तो पर लिया जाएगा :–

1 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है और उन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से नहीं हटाया गया हो, पात्र होंगे।

2 इस तरह के पात्र स्वयं सेवक, हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक केवल एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मासिक मानदेय पर रखे जाएगें। यह राशि विशेष पुलिस अधिकारी को नकद न देकर उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

3 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो व उनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी अनिवार्य है।

4 इस सहायक बल के सदस्यों व सेवानिवृत सैनिक को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा लेकिन यह ध्यान में रखा जाएगा कि उनके नजदीक पुलिस थानों जो उनके निवास स्थान के नजदीक हों में तैनात किया जाएगा। यद्यपि जो इच्छुक होगें उन्हें अन्य जिलों में भी तैनात किया जा सकता है।

5 इस सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोडे वर्दी, एक जोडे जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए 3000/–रूपये केवल एक बार दिए जाएगें।

6 इस बल के सदस्य जब सरकारी दौरें पर होगें तो उसके लिए निर्धारित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

7 उन्हें आकस्मिक अवकाश जो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों के लिए लागू है दिया जाएगा।

8 आवेदक केवल हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) का भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक हरियाणा राज्य से ही होना चाहिए।

9 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने का प्रमाण पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण–पत्र साथ लेकर आएगें।

10 किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता किए जाने पर विशेष पुलिस अधिकारी को सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त द्वारा बिना किसी नोटिस के उसकी सेवा निरस्त की जाएगी।

पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार व फिजिकल टैस्ट के समय अपने मूल प्रमाण–पत्र तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ जन्मतिथि के समर्थन में योग्यता अनुभव हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने वाला अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण–पत्र तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ पुलिस लाईन अम्बाला में रोजनामचा पर प्रबन्धक पुलिस लाईन अम्बाला के पास 22 जुलाई 2024 को सुबह 8.00 बजे आवेदनकर्ता मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होगें। यदि कोई भी आवेदनकर्ता 8–00 बजे के बाद आएगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त शर्ते व नियम माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय के पत्र–क्रमाक 6816–45/ई–(II)–1 दिनांक 07/06/2016, 11213–28/ई–(II)–1 दिनांक 30/08/2016, 11556–59/ई–(II)–1 दिनांक 01/09/2016, 4816–45/ई–(II)–1 दिनांक 071/06/2016 के अनुसार निर्धारित किए गए है।